

कार्यालय,**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

संख्या:- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/9437

तारीख:- दिनांक: 27/09/2022

कार्यालय आप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारसीबा कन्वेंशनल ओपन इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु विपरीत स्तरीय तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी नये अनुमोदन पदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, (उपरो) लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पदान किए जाने हेतु दिनांक: 27/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवंटित नये संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संपन्न संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/प्राप्त्यक्रम/परीक्षा क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 पर लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन प्राप्त्यक्रम एवं उपरोक्त अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 484T-OM SAI VINDHY COLLEGE OF PHARMACY


क्र/सं	प्राप्त्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग/प्राप्त्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी प्राप्त्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय प्राप्त्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी प्राप्त्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों का भी पालन, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की न्यूनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/विद्यार्थी/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उपरो, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरो तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपरो द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 में अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई ब्याद टापर

संस्था जानता है तथा टावर वाट के संबंध में गा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित समस्या को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित कउन्निगलिंग पारंग होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कउन्निगलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना 2/7 गा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परस्तावित/संयोजित पाठ्यक्रम को घटाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, एनीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुरासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(एक०आर० खन्)

सचिव

दिनांक: 27/09/2022

पू०सं०- वाशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9438-9411

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, OM SAI VINOHY COLLEGE OF PHARMACY



(एक०आर० खन्)

सचिव

- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य संपत्ति का एचआईसीटीआईसीपीआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की संपत्ति समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सौनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धत/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, OM SAI VINDHY COLLEGE OF PHARMACY, MIRZAPUR



(सुनील कुमार सौनकर)

सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए उत्तर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-08-2020 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उनके संशुद्ध अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के समुदाय अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन में सम्बद्धता एवं उक्तमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4847	ओम राई विद्य कालेज ओम फार्मसी, पीरजापुर।	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमपाली 1962, संशुद्ध विनियमपाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण के प्रति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इर्जीय पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 15,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर साराण द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रकाश होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया

(Handwritten signature)

जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो फीस की न्यूनतम दर लागू होगी।

- ✓ सत्र 2020-21 प्राथमिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, सत्र 2020-21 के सम्बद्ध विद्यालयों (विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ सत्र में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों में रिक्त स्थानों की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सत्र को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ सत्र को ए0आर0सी0टी0ई0/पी0सी0आर0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ सत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अभिव्यक्तियों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशों प्राथमिक शिक्षा, उच्च, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च प्राथमिक शिक्षा परिषद, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये लागू होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्राप्त करने में अक्षम रही है तो इस संबंध में भारत उत्तरप्रदेश सत्र का एमए और डिप्लोमा रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए सत्र में प्रवेश नहीं होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को उचित मददाय किया जाता है तथा मददाय के संबंध में भा. म्यादाय, उच्च शिक्षा प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सत्र प्रतिपूर्ति संबंधित सत्रों को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली सत्रों को समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आर0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उच्च प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से उच्च शासनादेशों पर भी प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत न्यूनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ सत्र को अपने वेबसाइट पर सत्र की सफल सुचनाएँ जैसे सत्र की एग्रीगेशन, भूमि-भवन, स्टाफ, सत्र-सत्र, उपकरण, जल किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ सत्र को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ सत्र सत्र के सम्बद्ध सत्रों का आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सत्र यह सुनिश्चित हो से कि सत्र में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति को सत्र उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कक्षाएँ, उपकरण इत्यादि का यदि सत्र द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि सत्र संचालन का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सत्र सत्र सत्र की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निर्देशानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

पू०सं०- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद दिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, ओम साई विद्या कालेज और फार्मेसी, भीरजापुर।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

कार्योत्तर:

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सखनऊ

संख्या:- प्राविप/परिषद सखनऊ/2021/3537

सखनऊ दिनांक:- 09/03/2021

-कार्योत्तर साप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली पर्यायी कार्यक्रमों का इतिहास, नई दिल्ली द्वारा। वैश्विक सखनऊ 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाते हेतु दिनांक- 18/03/2021 को परिषद कार्योत्तर से सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सख 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्व से सम्पादित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/परीक्षा समता वृद्धि/सहित अन्य माह पर विचार करते हुए सख 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनऊ द्वारा सख 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उच्च अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4847-OM SAI VINDHY COLLEGE OF PHARMACY, MIRZAPUR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सख 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सख 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ग 1963, रीसेक्टर विनियमवर्ग 2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निम्नलिखित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय ट्यूशन पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150 00/- प्रतिवर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 45000 00/- प्रतिवर्ष एक एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त के

प्रतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सेशन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शारादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाता आवश्यक होगा। पीस निरीक्षण समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो पीस की नवीनतम संदरे लागू होगी।

- ✓ संस्था को (30प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आदेशित (आर्से को ही प्रवेश दिया जायेगा) सीटी के रिक्त स्थानों को स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शारादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आगामी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शारादेशों/निर्देशों एवं विदेशी प्राविधिक शिक्षा उपग्र0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपग्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपग्र0 द्वारा जमा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में सम्स्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशावय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद टायर किया जाता है तथा टायर वाद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है तो सम्स्त संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्स्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, मान-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रों द्वारा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्ठाण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग रोकने के सम्बन्ध में सम्स्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये आभिवेद्य भूमे-अवल पनीधर उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध कर प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जायेगी।